<u>न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर</u>

अपील / आरटीआई / 129 / 2019

महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया गांव अकबरपुर तहसील कामां जिला भरतपुर ।

<u>बनाम</u>

तहसीलदार,कामा ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>आदेश</u> **दिनांक 10.12.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया गांव अकबरपुर तहसील कामां जिला भरतपुर, ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 09.09.2019 के द्वारा तहसीलदार,कामा से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार,कामा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 975 दिनांक 11.11.19 से तहसीलदार,कामा से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार,कामा से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार,कामा ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार,कामा से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार,कामा से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है, जो गंभीर बात है। तहसीलदार,कामा से जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार,कामा को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।

अपील स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार,कामा को प्रेषित की जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को प्रेषित हो।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2019.12.27 16:47:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: